

प्रेषक,

श्री अशोक वांगुनी,  
समुदाय सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

लेखक,

सचिव,  
राज्य शिक्षा विभाग,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
विद्या भवन 2 मजदारा रोड,  
प्रोविन्स विहार नई दिल्ली।

विषय : 171 अनुभाग

तकमका: दिनांक: 30 अक्टूबर, 1997

विषय:- राज इंद्रिका रतन सिन्धुवा तारनाथ चारागली को सी०बी०एस०के नई दिल्ली से हिन्दी माध्यम की सम्बन्धता हेतु अनापरित प्रमाण पत्र दिया जाना।

संदर्भ,

उपरोक्त विषयक पर मुझे/पत्र कले का निदेश हुआ है कि राज इंद्रिका रतन सिन्धुवा तारनाथ चारागली को सी०बी०एस०के नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापरित प्रमाण पत्र दिये जाने में आ राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापरित नहीं है :-

- 1- विद्यालय की संबन्धित शीतावली का सम्यक समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संघालित विद्यालयों में विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से वैकिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/को तब फार दि सम्बन्धन रतन सी०बी०एस०के प्रमाण पत्र नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- 5- संस्था वैकिक एवं शिक्षासंस्तर कर्मचारियों को राज्यीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित पेशेवरों तथा अन्य भर्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भर्तों नहीं दिये जायेंगे।
- 6- कर्मचारियों की सेवा नहीं बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त आवासीय उपकरण माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूचित सेवा नियमित का लाभ उपलब्ध कराये जायेगी।



7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायें, संस्था उनका पालन करेगी ।

8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकों में रखा जायेगा ।

9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के सुपरीन्टेंडन के बिना कोई परिवर्तन संशोधन वा परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि -

111 संस्था हिन्दी माध्यम से संचालित की जायेगी तथा सी०बी०स्क०ई० नई दिल्ली से प्रकाशित प्रमाण पत्र के आधार पर विद्यालय को हिन्दी माध्यम से सम्बद्धता प्रदान की जायेगी ।

121 विद्यालय का भूमि भवन का स्वामित्व तथा देवस्थल सी०बी०स्क०ई० के मानक के अनुसार सम्भारित है । विद्यालय हेतु अतिरिक्त भूमि की व्यवस्था की जायेगी ।

131 कार्यरत शिक्षक तथा शिक्षकालय कर्मियों के वेतन मानकानुसृत/अनुसृत मजदूरी के अनुसार दिया जायेगा ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह बात आता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है उक्त पालन करने में किसी प्रकार की बूझ वा साक्षिता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्रकाशित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

13/01/2000  
संयुक्त सचिव ।

सं० 2126111/15-7-1997 तदुद्दिष्ट

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना के रूप में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- राष्ट्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, वाराणसी ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी ।
- 4- निरीक्षक, राज्य भारतीय विद्यालय 3050 लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, राज्य अभिज्ञान स्कूल, सिविल लाइन्स वाराणसी ।

आपके,

*Sharma*  
13/01/2000  
संयुक्त सचिव ।